रायगढ़ जिले में कोलडिपो और अवैध कोयला परिवहन पर ताबड़तोड़ छापे

» पूंजीपथरा में 7 आरोपियों से 3 ट्रेलर वाहन, 2 जेसीबी, 1 पोकलेन की गई जप्त » छापेमार कार्यवाही 139.180 मेट्रिक टन कोयला जप्त » चक्रधरनगर एवं पूंजीपथरा पुलिस की कार्यवाही

न्याय साक्षी/रायगढ़। पुलिस अधीक्षक रायगढ़ संतोष कुमार सिंह के दिशा निर्देशन तथा एडिशनल एसपी अभिषेक वर्मा, नगर पुलिस अधीक्षक अविनाश सिंह ठाकुर के मार्गदर्शन पर पूंजीपथरा पुलिस द्वारा आज शासकीय संस्थान एनटीपीसी लारा को की जाने वाली कोयले की सप्लाई में मिलावटी कोयले मिश्रित करने के गोरखधंधे का भंडाफोड़ किया गया है।

जानकारी के अनुसार थाना प्रभारी पूंजीपथरा निरीक्षक अमित सिंह को आज सुबह सूचना मिली की ग्राम देलारी के जय भोले कोल डिपो में कांटाघर ऑपरेटर, मुंशी, लोडर ऑपरेटर, जेसीबी ऑपरेटर व ट्रेलर चालकों की मिलीभगत से डूलंग कोल माइंस ओडिशा से लाए गए अच्छे किस्म के कोयले को निकाल कर उसकी जगह कोल डिपो में पहले से रखे कोयला पत्थर, चारकोल मिक्स कर लारा एनटीपीसी को सप्लाई करने की योजना बनाई जा रही है, जिस पर थाना प्रभारी पूंजीपथरा निरीक्षक अमित सिंह के हमराह सहायक उपनिरीक्षक जी.पी. बंजारे, प्रधान आरक्षक दिलेश्वर सिदार, आरक्षक बालचंद राव, धर्मेंद्र सिंह, विनोद शर्मा, भगवती प्रसाद रत्नाकर, तथा डोमन सिंह मौके पर जाकर तस्दीक किये तस्दीक पर पुलिस को मुखबिर से मिली सूचना सही मिली। जय भोले कोल डिपो में कांटा घर ऑपरेटर से शेख अनीश, डिपो का मुंशी संतोष प्रजापति, लोडर ऑपरेटर सीताराम भारद्वाज, जेसीबी ऑपरेटर संजय तिर्की तथा 3 ट्रेलर के चालकों द्वारा नियम विरुद्ध अच्छी किस्म के कोयले की चोरी कर कोयला पत्थर, चारकोल जो पूर्व से डिपो में रखा हुआ था उसे ट्रेलर वाहन सीजी 13 एडी-4253, सीजी13 एडी-4252, सीजी13 एएफ-2159 में लोडिंग कर रहे थे। आरोपियों से पूछताछ करने पर बताएं कि ग्राम देलारी के जय भोले कोल डिपो को मनोज तमता निवासी रायगढ़, सिटू अग्रवाल अंबिकापुर, आरिफ खान अंबिकापुर तथा प्रमोद सिंह निवासी रायगढ़ के द्वारा संचालन किया जा रहा है जिसकी जानकारी हेतु पूंजीपथरा पुलिस द्वारा खनिज अधिकारी रायगढ़ को पत्राचार किया गया है। आरोपियों द्वारा पकड़े गए तीनों ट्रेलर वाहनों को मनोज तमता निवासी रायगढ़ का होना बताया गया है। तीनों वाहनों में लोड कुल 101.300 मेट्रिक टन कोयला कीमती रू. 1,91,573 को चोरी की संपत्ति होने के पूर्ण आशंका पर ट्रेलर वाहन सहित लोडर मशीन, जेसीबी मशीन जप्त कर आरोपियों के विरुद्ध थाना पूंजीपथरा में इस्तगासा धारा 41(1+4)सीआरपीसी/379 आईपीसी के तहत कार्यवाही की गई है। साथ ही भारतीय दंड संहिता की धारा 407,120 बी के तहत पृथक से अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है।

वहीं दिनांक 02.12.2019 के दोपहर 12:10 बजे थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक विवेक पाटले, सउनि डी.के. बोहिदार, सउनि प्रकाश नारायण पांडे आरक्षक धीरेंद्र पांडे, अभिषेक द्विवेदी, रितेश दीवान द्वारा इंदिरा विहार चेक पोस्ट के पास वाहनों की चेकिंग दौरान कोयले से भरे हाईवा सीजी 22 सी-4546 की जांच कर वाहन मालिक व चालक को आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया जिस पर वे असफल रहे। वाहन में लोड कोयला चोरी का होने की शंका पर चक्रधरनगर पुलिस द्वारा वाहन धारा 41(1+4)सीआरपीसी/379 आईपीसी एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियम) अधिनियम 1957 की धारा 21(4) के तहत कार्यवाही हाईवा मय लोड कोयला 20 टन कीमती 80,000 रुपये जप्त कर वाहन मालिक धर्मराज से पिता स्वर्गीय दल प्रताप सिंह उम्र 46 वर्ष निवासी ब्रजराजनगर ओडीशा एवं वाहन चालक वीरू कुमार मिरी पिता शिवधारी मिरी उम्र 28 वर्ष निवासी चक्रवार जिला बलौदा बाजार के विरुद्ध की गई है।

पूंजीपथरा पुलिस द्वारा छापेमारी कर लौटते समय देलारी-गेरवानी मार्ग पर ट्रेलर सीजी13 एएफ -2161 जिसमें 36.880 मेट्रिक टन कोयला कीमती 63,000 रूपये का लोड है, चालक द्वारा पुलिस पेट्रोलिंग को आता देख छोड़कर भाग गया था जिसे पूंजीपथरा पुलिस द्वारा जप्त कर धारा 102 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही की गई है।

पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह द्वारा सभी थाना/चौकी प्रभारियों को जिले में अवैध धान तथा अवैध कोयले के परिवहन पर रोक लगाने हेतु चेक पोस्ट बनाकर वाहनों की चेकिंग करने तथा रात्रि गश्त दौरान भी शहर के भीतर प्रवेश करने वाले मार्गो पर वाहनों की सघन जांच करने के निर्देश दिए हैं जिस पर रात्रि गश्त एवं शहर में पेट्रोलिंग सुदृढ़ कर थाना प्रभारियों द्वारा वाहनों की बारीकी से जांच की जा रही है।

इन आरोपियों पर की गई कार्यवाही

(1) आरोपी कांटा घर ऑपरेटर - शेख अनीश पिता शेख असलम 26 साल निवासी मंगला बिलासपुर दीनदयाल कॉलोनी एमआइजी 185 हाल मुकाम ग्राम देलारी जय भोले कोल डिपो थाना पूंजीपथरा

(2) कोलडिपो का मुंशी- संतोष प्रजापति पिता स्वर्गीय राम नारायण प्रजापति एक 30 साल निवासी जूटमिल लेबर कॉलोनी हाल मुकाम देलारी जय भोले कोल डिपो

(3) लोडर ऑपरेटर - सीताराम पिता करमू राम भारद्वाज 47 वर्ष निवासी ग्राम गोडम थाना सारंगढ़ हाल मुकाम देलारी जय भोले कोल डिपो

(4) जेसीबी ऑपरेटर- संजय तिर्की पिता रिझन तिर्की उम्र 34 साल निवासी महादेव मुंडा थाना कांसाबेल जिला जसपुर हाल मुकाम देलारी जय भोले कोल डिपो

(5) ट्रेलर चालक - इरफान अली पिता इमाम अली 32 वर्ष सैतखानपुर थाना कूडेभार जिला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश

(6) ट्रेलर चालक - बब्लू चौहान पिता महेश चौहान उम्र 38 वर्ष निवासी चंद्रनगर चढ़ाई थाना डाला जिला सोनभद्र, उत्तर प्रदेश

(7) ट्रेलर चालक - संजयसाहू पिता रामचरण साहू 20 साल निवासी सेरो थाना डभराजिला जांजगीर चाम्पा

महत्वपूर्ण एवं खास

दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, भेजा गया रिमांड पर

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना कोतरारोड़ में दिनांक 22.10.19 को 17 वर्षीय बालिका के दिनांक 18.10.19 के सुबह स्कूल से वापस घर न आकर कहीं चले जाने की रिपोर्ट परिजनों द्वारा दर्ज कराया गया था। रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 312/19 धारा 363 आईपीसी पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दरम्यान नाबालिग बालिका को सुनील सिदार पिता चैन सिदार उम्र 21 वर्ष निवासी कोतमी बाजार डभरा के पास से बरामद किया गया है। प्रकरण में दिनांक 01.12.19 को धारा 366,376 भादवि एवं 4, 6 पॉक्सो एक्ट विस्तारित कर आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।

भूपदेवपुर, खरसिया एवं चक्रधरनगर पुलिस की जुआ फड पर कार्यवाही

न्याय साक्षी/रायगढ़। भूपदेवपुर पुलिस द्वारा दिनांक 01.12.19 को निरीक्षक उत्तम साहू के नेतृत्व में ग्राम देवरी बस्ती चंदन तालाब के पास स्ट्रीट लाइट के नीचे जुआ खेलते मिले जुआडियान 1.गंगाधर साव पिता जगदीश साव उम्र 28 वर्ष 2. गिरजा शंकर उपाध्याय पिता सीताराम उम्र 35 वर्ष 3. चित्रसेन साहू पिता मेहर साहू उम्र 34 वर्ष 4.शंकरलाल पिता दादूलाल उरांव उम्र 36 वर्ष को घेराबंदी कर पकड़े जिनके पास से कुल जुमला नगदी रकम 11000/रू एवं 52 पत्ती तास जप्त किया गया है।

नवपदस्थ चौकी प्रभारी खरसिया उपनिरीक्षक नंद किशोर गौतम एवं हमराह स्टाफ द्वारा दिनांक 01.12.19 की रात्रि गंजपीछे मोहन तालाब के पास जुआ खेल रहे 01.अनिल बघेल पिता श्याम लाल उम्र 32 साल साकिन मौहापाली रोड खरसिया, 02 हीरा यादव पिता तिलकराम उम्र 25 साल साकिन गंजपीछे खरसिया, 03. आकाश मंहत पिता नहरदास उम्र 27 साल साकिन गंजपीछे खरसिया चौकी खरसिया को रेड कर पकड़े,जिनके फड एवं पास से जुमला नगदी रकम 3260 /रू. तथा 52 पत्ती तास जप्त किया गया है।

दिनांक 01-12-19 की रात्रि चक्रधरनगर राइनो को कोरियादादर पर जुआ का इवेंट मिला, चक्रधरनगर राइनो द्वारा सूचना चक्रधरनगर प्रभारी को दिया गया जिस पर थाना चक्रधरनगर पेट्रोलिंग एवं राइनो स्टाफ द्वारा घेराबंदी कर जुआ फड से जुआडियान 1. हितेश रात्रे पिता हरिशंकर रात्रे उम्र 18 वर्ष 2. सूरज टंडन पिता चैतराम टंडन उम्र 19 वर्ष 3. कान्हा कुर्रे पिता सुशील कुर्रे उम्र 23 साल 4. राजेश सिदार पिता अनिश सिदार उम्र 35 वर्ष 5. संतू रात्रे पिता करमाहा रात्रे उम्र 32 साल सभी साकिनान कोरियादादर चक्रधरनगर रायगढ़ को पकड़े जिनके पास व फड से जुमला 1100 रूपये बरामद हुआ। जुआडियान के विरूद्ध 13 जुआ एक्ट की कार्यवाही की गई है।

जहां होगा पानी का ठहराव, वहां होगा डेंगू मच्छर का फैलाव

» स्कूली बच्चों ने रैली के माध्यम से दिया जन-जागरूकता का संदेश

» कलेक्टर ने हरी झण्डी दिखाकर किया रवाना

न्याय साक्षी/रायगढ़। डेंगू रोकथाम के जन-जागरूकता के लिए आज कलेक्टर यशवंत कुमार ने साधुराम विद्या मंदिर के विद्यार्थियों द्वारा निकाली जा रही रैली को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। मिनी स्टेडियम से प्रारंभ हुई यह रैली लोईंग रोड, फारेस्ट कालोनी, टीवी टॉवर रोड से केलो विहार होते हुए मिनी स्टेडियम में समाप्त हुई। कक्षा 11 वीं की खुशी जयसिंह और संस्कार गोयल ने स्केटिंग करते हुए स्कूली बच्चों की रैली की अगुवाई की। लगभग 200 बच्चों ने हाथों में डेंगू की रोकथाम के लिए जहां है पानी का ठहराव, वहां होगा डेंगू मच्छर का फैलाव' हम सबने ठाना है डेंगू मुक्त शहर बनाना है' और दूर होगी डेंगू की बीमारी, जब होगी हम सबकी भागीदारी' जैसे नारों वाली तख्तियां, बैनर, पोस्टर लेकर लोगों को डेंगू के प्रति सजग व सतर्क रहने का संदेश दिया। साथ ही डेंगू के लक्षणों तथा रोकथाम के उपायों को नारों के माध्यम से बताया। इस दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.एस.एन.केशरी, जिला शिक्षा अधिकारी मनीन्द्र श्रीवास्तव, सहायक संचालक शिक्षा श्रीमती दीप्ति अग्रवाल सहित स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ स्कूल के प्राचार्य दुना बिश्वाल व शिक्षक-शिक्षिकाएं उपस्थित रहे।

ट्रैवलर वाहन में बरगढ़ से उत्तर प्रदेश लेकर जा गांजे की बड़ी खेप सरिया पुलिस ने पकड़ा

» अवैध रूप से गांजा परिवहन कर रहे 03 आरोपियों से 5.50 लाख का 110 किलो गांजा जप्त

न्याय साक्षी/रायगढ़। मुखबिर की सूचना पर दिनांक 02.12.2019 के दोपहर को प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक जितेंद्र चंद्रवंशी एवं हमराह ए.एस.आई. विमल यादव, प्रधान आरक्षक धनेश्वर उरांव, आरक्षक श्याम प्रधान, संजय मिंज, अशोक पटेल द्वारा ग्राम छेवारीपाली मुख्य मार्ग पर ट्रैवलर वाहन यूपी 65 बीटी -3774 पर गांजा के पैकेट (आधा किलो, 1 किलो और 3 किलो के) लोड कर उड़ीसा बरगढ़ से उत्तर प्रदेश लेकर जा रहे आरोपियों को नाकेबंदी कर पकडे, वाहन से 105 पैकेट में लगभग 110 किलो गांजा कीमती 5,50,000 रूपये एवं ट्रैवलर वाहन (कीमती 7 लाख रूपये) जप्त किया गया है।

मौके पर पकड़े गये आरोपी (1) निर्मल पंडित पिता जमुना दास उम्र 27 वर्ष सा. रतलाम (एमपी) (2) संतोष पाण्डेय पिता कृष्ण पांडेय उम्र 23 वर्ष सा. बलिया (यूपी) (3) गुसेश्वर प्रसाद नोनिया, पिता स्व. शिवकुमार प्रसाद नोनिया उम्र 53 वर्ष, सा. आरा (बिहार) के विरूद्ध थाना सरिया में एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही की जा रही है।

मालगाड़ी में नक्सलियों ने बांधे बैनर

» गार्ड का वॉकी-टॉकी और लैंप लूटा

जगदलपुर (आरएनएस)। किरंदुल से विशाखापट्टनम के लिए निकली लौह अयस्क से लदी मालगाड़ी को रात 7:45 बजे के करीब हथियारबंद माओवादियों ने भांसी रेलवे स्टेशन के नजदीक रोक लिया। गार्ड का वॉकी-टॉकी और टेलिंग लैंप नक्सलियों ने लूट लिया। भांसी थाने में दर्ज करवाई गई शिकायत के अनुसार गार्ड अनिल कुमार ने बताया है कि कुछ देर ट्रेन ड्राइवर और को पायलट से बातचीत करने के बाद नक्सलियों के द्वारा ट्रेन के इंजन पर बैनर बांध दिया और फिर ट्रेन को जाने दिया। बैनर पुलिस ने जब्त कर लिया है। रात 11:10 बजे जब मालगाड़ी जगदलपुर पहुंची तब उसके इंजन में नक्सलियों का बैनर बंधा हुआ था, जिसमें 2 से 8 दिसंबर तक पीएलजीए सप्ताह मनाए जाने और इसे सफल बनाने का आह्वान किया गया है।

अवैध रेत खनन एवं परिवहन पर कोतरारोड़ पुलिस की कार्यवाही

परिवहन में लगे 11 ट्रक जप्त कर लाया गया थाने

न्याय साक्षी/रायगढ़। गत मांड नदी से रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन की सूचनाएं सामने आ रही थीं जिस पर पुलिस अधीक्षक रायगढ़ संतोष कुमार सिंह द्वारा नगर पुलिस अधीक्षक अविनाश सिंह ठाकुर को अवैध उत्खनन पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए थे। आज दिनांक 02.12.19 को सीएसपी ठाकुर एवं कोतरारोड़ प्रभारी निरीक्षक रूपक शर्मा एवं स्टाफ द्वारा मांड नदी किनारे ग्राम औराभाटा में हो रहे अवैध उत्खनन पर रेड कार्यवाही किया गया। मौके पर अवैध रेत का उत्खनन कर परिवहन के लिये खड़ी 11 ट्रकों को थाना लेकर आया गया है। थाना कोतरारोड़ में छत्तीसगढ़ गौण खनिज अधिनियम की धारा 69,71/102 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही कर खनिज विभाग को सूचना दी गई है।

खरसिया पुलिस ने अग्रसेन चौक पर अवैध डम्प किये जा रहे कबाड़ के साथ आरोपी को पकड़ा

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना प्रभारी खरसिया निरीक्षक एस.आर. साहू एवं चौकी प्रभारी खरसिया उपनिरीक्षक नंदकिशोर गौतम एवं स्टाफ द्वारा ग्राम चपले में राजस्व, खाद्य, विभाग के साथ अवैध रूप से धान के संग्रहण पर कार्यवाही केलिये रवाना हुये थे। इसी दरम्यान अग्रसेन चौक पर सुनिल कुमार अग्रवाल पिता स्व. प्रेमचन्द 43 वर्ष छपरीगंज खरसिया द्वारा पीकप वाहन क्र सीजी10-2183 में तॉवे के प्लेट व तार, मशीनरी समान, पम्प, तथा गोडाउन में रखें लोहे के छड़ व एंगल लोड करते मिला जिससे पूछताछ कर आवश्यक कागजात चेक किया गया। सुनिल कुमार अग्रवाल द्वारा कोई कागजात पेश नहीं करने पर जप्त कबाड वजनी करीब 6 टन कीमती 2 लाख को चोरी की मशरूका होने के संदेह पर जप्त कर सुनिल कुमार अग्रवाल के विरूद्ध धारा 41 (1+4) सीआरपीसी/379 आईपीसी के तहत कार्यवाही कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

मीसाबंदियों को हाइकोर्ट से मिली राहत

बिलासपुर (आरएनएस)। सोमवार को हाईकोर्ट ने मीसाबंदियों को बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार को पूरा पेंशन देने के साथ एरियर देने का आदेश दिया है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने तत्काल भौतिक सत्यापन करने का भी आदेश दिया है।

ज्ञात हो कि राज्य सरकार ने मीसा बंदियों की पेंशन को रोकने का आदेश दिया था, जिसे असित भट्टाचार्य ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। जस्टिस पी सैम कोशी की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है।

ए.एस.आई. शेष चरण तिवारी व पुलिस हॉसपीटल के कम्पाउंडर एन.आर.क्रोधी हुये सेवानिवृत्त

» सेवानिवृतों के लिये पुलिस कार्यालय में रखा गया विदाई सम्मान कार्यक्रम

न्याय साक्षी/रायगढ़। पुलिस विभाग में सेवारत रहते हुए अपनी 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले पुलिस हॉस्पिटल उर्दना में कार्यरत कम्पाउंडर एन.आर.क्रोधी एवं सहायक उप निरीक्षक शेषचरण तिवारी के सेवानिवृत्त होने पर पुलिस कार्यालय में आज शाम विदाई सम्मान कार्यक्रम रखा गया था। पुलिस कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (आईयूसीएडब्ल्यू) डॉ. आर.पी भैया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा, उप पुलिस अधीक्षक (एएचटीयू) बेनेडिक्ट मिंज, रक्षित निरीक्षक रायगढ़ अमरजीत खुटे, कार्यालयीन स्टाफ तथा पुलिस हॉस्पिटल के स्टाफ तथा सेवानिवृत्त के परिजन उपस्थित थे। पुलिस अधीक्षक महोदय संतोष कुमार सिंह ने कहा कि कम्पाउंडर एन.आर.क्रोधी काफी अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति है उनके जगह की पूर्ति इतनी जल्दी कर पाना आसान नहीं है। वे सेवानिवृत्त होकर भी अपनी सेवाएं पुलिस परिवार को देंगे ऐसी आशाएं व्यक्त किया गया साथ ही प्रसन्नता जाहिर किए की इतनी लम्बी सेवा अवधि के बाद अब वे सभी काम कर पायेंगे जो कार्य की व्यस्तता के कारण नहीं कर पाये थे। रिटायर्ड होकर दोनों से हम पुलिस विभाग के कार्यों का फिडबैक एक आम नागरिक के रूप में प्राप्त करेंगे। साथ ही उन्हें या परिवारजनों को कोई भी समस्या हो तो निसंकोच हमसे मदद लेवें कहा गया। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा दोनों सेवानिवृत्तों को शाल, श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किये और उनके स्वस्थ रहने एवं परिवारजनों के लिए लिए जाने वाले कार्यों के लिए अग्रिम शुभकामनाएं दिए। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों ने दोनों के अच्छे स्वास्थ्य व भविष्य के लिये शुभकामनाएं देकर पुष्प गुच्छ भेंट किया गया।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480